बिहार सरकार

अनु॰जाति एवं अनु॰ जनजाति कल्याण विभाग

बिहार महादलित विकास मिशन

मुख्यमंत्री सचिवालय,

4, देश रत्न मार्ग, बिहार, पटना

पत्रांक- बि॰म॰वि॰मि॰ 81-01/10-479

प्रेषक,

प्रभात कुमार, बि॰प्र॰से॰

मिशन निदेशक,

बिहार महादलित विकास मिशन, पटना

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक....19.../04/2011

विषय: विकास मित्रों के नियोजन नवीकरण के संबंध में।

महाशय,

सरकार की सभी योजनाओं को महादलितों के विकास हेतु प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक पंचायत (ग्रामीण) एवं वार्ड समूह (शहरी) में एक-एक विकास मित्र का चार चरणों में संविदा के आधार पर 11 (ग्यारह) माह के लिए नियोजन किया गया है। महादलितों के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन किया जा रहा है एवं भविष्य में भी इन योजनाओं को जारी रखे जाने की प्रबल संभावना है। इस आलोक में राज्य कार्यकारिणी द्वारा नियोजित सभी विकास मित्रों का नियोजन अवधि 11 (ग्यारह) माह के लिए बढ़ायी गई है।

अत: अनुरोध है कि नियोजित विकास मित्र का नियोजन नवीकरण हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए उनका नवीकरण संलग्न प्रपत्र-10 तत्काल 11 (ग्यारह) माह हेतु सुनिश्चित करवाने की कृपा की जाए एवं इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी को विकास मित्रों का नवीकरण का स्वीकृति पत्र देने हेतु अपने स्तर से निर्देश निर्गत करने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन

ह०/- 19/4/11

मिशन निदेशक

ज्ञापांक- 479

पटना,दिनांक....19.../04/2011

प्रतिलिपि- सभी उपनिदेशक कल्याण/सभी जिला परियोजना पदाधिकारी सह-जिला कल्याण पदाधिकारी/अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी (प्रभारी महादलित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। जिला परियोजना पदाधिकारी संबंधित पदाधिकारियों को प्रपत्र-10 एवं आवश्यक दिशा-निर्देश उपलब्ध करवायेंगे।

ह०/- 19/4/11

मिशन निदेशक

बिहार महादलित विकास मिशन

विकास मित्रः संविदा विस्तार प्रपत्र

(विकास मित्र द्वारा भरा जाएगा)

मैं, ---------------------------, पिता/पति ---------------------------,
ग्राम/मुहल्ला ---------------------------, पंचायत/वार्ड समूह ---------------------------,
प्रखंड/नगर निकाय ---------------------------, थाना ---------------------------, जिला
--------------------------- का निवासी हूँ। मेरी जन्म तिथि ---------------------- है।

मैं, विकास मित्र के रुप में दिनांक --------- से --------------------------- जिला के अंतर्गत प्रखंड/नगर निकाय ------------------ के पंचायत/वार्ड समूह ------------------------- में कार्य करता/करती आ रहा/रही हूँ। मैं भविष्य में भी विकास मित्र के रुप में सेवा प्रदान करने को इच्छुक हूँ। अतः अनुरोध है कि मेरी संविदा विस्तार करने की कृपा की जाए।

स्थानः-

दिनांकः-

विकास मित्र का हस्ताक्षर

जिलाः------------------, अनुमंडलः- ----------------

(कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

बिहार महादलित विकास मिशन के पत्रांकः- ---------, दिनांकः- -------- के आलोक में श्री/श्रीमति --------------------------------, पिता/पति -------------------------, पंचायत/वार्ड समूह ----------------------, प्रखंड/नगर निकाय -------------------------- को विकास मित्र के रुप में 11 महीने हेतु विकास मित्र के रुप में संविदा का निम्नलिखित नियम एवं शर्तों पर विस्तार किया जाता है:-

1. विकास मित्र अपने कार्य क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु प्रशासन एवं लाभुकों के बीच कड़ी का कार्य करेंगे।
2. विकास मित्र सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे तथा नियोजन के पश्चात् उनका चरित्र एवं कार्य असंतोषप्रद होने की स्थिति में संविदा समाप्त की जा सकती है।
3. विकास मित्र को अप्रैल, 2011 से प्रतिमाह 4,000/- (चार हजार) रुपये मानदेय जिला मिशन कार्यालय से भुगतान किया जाएगा।

स्थानः-

दिनांकः-

अनुमंडल पदाधिकारी